राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़

पंत कृषि भवन,जनपथ,जयपुर

दूरभाष नं. 0141–2227514, 5106516, फैक्स नं. 5106516

F1 ( )/2016/ 19001 दिनांकः– 13/10/2016

कोटेशन सूचना

राजस्थान राज्य बीज निगम मुख्यालय में एवं निगम की संबंधित 23 इकाईयों पर कार्यालय में कार्य हेतु प्रशिक्षित अनुमानित कुल–40 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन समस्त उपकरणों सहित उपलब्ध करवानें हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सियों / संस्थाओं / कम्पनियों से कोटेशन वित्त विभाग के परिपत्र F.9(1)FD.1(1)Bud/2012 Dated 01 July, 2015 की शर्तो के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन दिनांक 02.11.2016 को 12.00 बजे तक निगम मुख्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है, एवं उसी दिन सायः 03.00 बजे खोले जावेगें। इस कोटेशन से संबंधित समस्त वांछित जानकारी / अन्य शर्ते एवं प्रपत्र निगम की वेबवाईट www.rajseeds.org / पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर देखी अथवा डाउनलोड किये जा सकते है।

कोटेशन केवल सेवा प्रदाता / संस्थाओं / कम्पनियों से ही 01 वर्ष की अवधि के लिए आमंत्रित किये जाते है तथा कम्प्यूटर ऑपरेटरों मय मशीन का सम्पूर्ण दायित्व सेवा प्रदाता का ही होगा। सशर्त कोटेशन मान्य नहीं होगी। कोटेशन को आंशिक / पूर्ण स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताकर्ता को होगा।

(सुषमा अरोड़ा)
प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़
पंत कृषि भवन,जनपथ,जयपुर
<u>कोटेशन प्रपत्र</u>

1. फर्म का नाम...
2. फर्म का पता..
   दूरभाष संख्या.........................
3. निविदादाता की फर्म पंजीकृत होना आवश्यक है एव फर्म को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में दो वर्ष का न्यूनतम कार्य अनुभव होना आवश्यक है :– **<u>निम्न सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें, प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।</u>**
   (i) पंजीयन संख्या...
   (ii) सर्विस टैक्स रजिट्रेशन नम्बर...
   (iii) पेन नम्बर..
   (iv) भविष्य निधि रजिस्ट्रेशन नम्बर...
   (v) कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र ....
4. निविदा प्रपत्र में दर प्रस्ताव दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
5. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे लिखित मे रूपयें 1000/-- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। साथ ही, 5 प्रतिशत धरोहर राशि (Performance security) जमा करानी होगी।
6. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की मुख्यालय एवं की निगम की राजस्थान में स्थित विभिन्न इकाईयों पर आवश्यकता रहेगी। जिसकी उपलब्धता सफल निविदादाता फर्म को सुनिश्चित करनी होगी।
7. संविदा आधार पर लिये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर एक वर्ष के लिए संविदा पर रखे जायेंगे। फर्म की सेवाएँ संतोषजनक होने पर 6 माह की कार्य अवधि वृद्धि की जा सकेगी।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर को राजकीय अवकाशों एवं कार्यलय समय के पश्चात भी आवश्यकता अनुसार कार्य करना होगा, इसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
9. **भुगतान की शर्ते :–**
   (1) प्रत्येक माह के भुगतान हेतु फर्म को बिल प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ पूर्व माह के भविष्य निधि/ई.एस.आई/सेवा कर (यथा लागू) जमा के चालानों की छाया प्रतियॉ संलग्न करनी होगी। अन्यथा भुगतान सम्भव नहीं होगा।
   (2) भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषजनक रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक द्वारा फर्म को किया जायेगा, फर्म को किये जाने योग्य भुगतान में नियमानुसार वैधानिक कटौतियां (आयकर, टी.डी. एस इत्यादि) की जायेगी।
   (3) भविष्य निधि, सेवाकर तथा अन्य दायित्व जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता फर्म की होगी।
10. विवाद होने पर अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़ को अपील की जा सकेगी।
11. यह अनुबंध सेवा प्रदाता फर्म तथा राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़ के मध्य होगा।
12. कम्प्यूटर ऑपरेटर को फर्म द्वारा प्रति माह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर को पारिश्रमिक चैक द्वारा/आर.टी.जी.एस. से भुगतान करना होगा। निविदा दर में सेवा कर के अतिरिक्त समस्त प्रकार के कर शामिल होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

13. किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं संतोषजनक नहीं होने पर फर्म द्वारा उनके स्थान पर दूसरा कर्मी तुरन्त उपलब्ध कराना होगा।

14. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अपराध और शास्तियाँ बाध्यकारी होगें।

15. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।

16. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार आर.एस.एस.सी का होगा।

17. **प्रस्तावित दर (प्रति कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन):–**

(अंको में)...

(शब्दों में)...

+ नियमानुसार सेवा कर अतिरिक्त देय होगा, जिसे जमा कराने का दायित्व सेवा प्रदाता फर्म का होगा।

नोटः–

(i) उपरोक्त दरों के अतिरिक्त निगम द्वारा अन्य कोई कर या दायित्व वहन नहीं किया जायेगा।

(ii) कम्प्यूटर ऑपरेटर को राज्य सरकार द्वारा उच्च कुशल श्रमिक की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भुगतान की सुनिश्चितता की जायेगी। पी.एफ., ई.एस.आई यदि लागु हो, का जमा का दायित्व सेवा प्रदाता फर्म का होगा। तदानुसार फर्म द्वारा दर प्रस्ताव दिया जावे।

(iii) प्रत्येक माह के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ पूर्व माह के भविष्य निधि, ई.एस.आई व सेवा कर जमा के चालानों की सत्यापित छाया प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा भुगतान सम्भव नही हो पायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर